



कार्यालय उप वन संरक्षक, नन्दादेवीराष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

Phone & Fax No.- 01389-222179

E-mail- dcfdnp-forest-uk@nic.in

पत्रांक- 3991 / 12-1, जोशीमठ, दिनांक, 07-06-2024.

सेवा मे,

अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत लाता-लाता मन्दिर मोटर मार्ग के किमी 0.500 से 4.00 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.738 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1105/24 एल०ए०, दिनांक 28.05.2024.

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 06.01.2022 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में ली जाने वाली एन०पी०वी० की दर संशोधित की गयी है। जिस क्रम में इस कार्यालय की पत्र संख्या 4628/12-1, दिनांक 18.05.2023 द्वारा आपको संशोधित दरों पर एन०पी०वी० की बढी हुई धनराशि का डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया। पुनः एक बार एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि के उपरान्त संशोधित डिमाण्ड नोट निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है।

एन०पी०वी० की धनराशि का विवरण नवीन दरों के अनुसार -

ईको क्लास-	Vith
हरियाली का घनत्व-	0.4(40 %)(Dense forest)
एन०पी०वी० की दर-	रु० 13,72,410..00
हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल-	0.738 है०
एन०पी०वी० की धनराशि-	0.738 X 13,72,410..00
	=रु० 10,12,838.58 या 10,12,839.00
	(रु० दस लाख बारह हजार आठ सौ उन्तालीस)
	= रु० 5,15,862.00
	(रु० पांच लाख पन्द्रह हजार आठ सौ बासठ)
	10,12,839.00-5,15,862.00 = 4,96,977.00
	(रु० चार लाख छियानवे हजार नौ सौ सत्तहत्तर मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार बढी हुई एन०पी०वी० की धनराशि रु० 4,96,977.00 (रु० चार लाख छियानवे हजार नौ सौ सत्तहत्तर मात्र) का डिमाण्ड नोट इस आशय से प्रेषित कि बढी हुई धनराशि को शीघ्र कैम्पा फण्ड में जमा कर जमा रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी अवगत करना है कि भारत सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि यदि Stage II हेतु लम्बित प्रकरणों में अनुपालन आख्या निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित नहीं की जाती है तो भारत सरकार द्वारा Forest Conservation (Rules), 2003 की धारा 8(2)(a) के द्वारा ऐसे प्रकरणों को Revoke कर दिया जायेगा।

भवदीय

(बी०बी०मर्तोल्या)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

पत्रांक 3991 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक 2554/1जी-5057(चमोली सै०स्वी०अनु०), दिनांक 10.05.2023 के क्रम में।
- 2- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

(बी०बी०मर्तोल्या)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।